2017/00178

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2017 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995)

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सांभर लेक ।

प्रार्थी

बनाम

1.श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मांगूराम जाति दरोगा निवासी हरनाथपुरा, किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।

2.भाग चन्द पुत्र श्री महादेव जाति यादव निवासी डूंगरी कला, तहसील रेनवाल ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त 40 कट्टे गेहूं को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री के॰ डी॰ शर्मा एव सी एस मिश्रा अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 4-11-2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.03.2017 को कस्बा सांभर लेक पंचायत समिति के सामने पुलिस द्वारा पिकअप नम्बर आरजे 14 जीएफ5664 का रोक कर चैक करने पर पिकअप में 40 कट्टे गेहूं के भरे हुये मिले जिनके बार में अप्रार्थीगण ने बताया कि ये गेहूं राशन के सांभर कय विकय सहकारी समिति लि॰ सांभरलेक से लेकर आये है। उक्त पिकअप गाडी में मिले गेहूं के कट्टों को राशन डीलर भागचन्द को बेचने का, के वी एस एस सांभरलेक द्वारा कोई बिल जारी नहीं किया गया । उक्त राशन के गेहूं की अवैद्य निकासी की जाकर मार्केट में बेचने ले जाया जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा बिना रसद विभाग के अनुज्ञापत्र, बिल व डीलरशिप अनुज्ञापत्र के बिना उक्त 40 कट्टे गेहूं अवैद्य रूप से ले जाते हुये पाया जाना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है होने से उक्त बोलेरो व गेहूं को जब्त किया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर

2. पुलिस द्वारा धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जा वाहन व गेहूं को जब्त किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा वाहन संख्या आरजे 14 जीएफ 5664 को छुडवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर केश डायरी व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत परिवाद पेश करने हेतु लिखा गया । केश डायरी व फर्द जब्ती प्राप्त हुई।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जब्त गेहूं शीघ्र खराब होने एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरित निस्तारण के आदेश दिनांक 27.04.2017 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय एवं थानाधिकारी सांभर लेक को दिनांक 15.05.2017 को जब्त गेहूं का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण किये जाने हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता

श्री के.डी.शर्मा एवं श्री सी. एस. मिश्रा ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 22.03.2017 को कस्बा सांभर लेक पंचायत समिति के सामने पुलिस द्वारा पिकअप नम्बर आरजे 14 जीएफ5664 का रोक कर चैक करने पर पिकअप में 40 कट्टे गेहूं के भरे हुये मिले जिनके बार में अप्रार्थीगण ने बताया कि ये गेहूं राशन के सांभर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सांभरलेक से लेकर आये है। उक्त पिकअप गाडी में मिले गेहूं के कट्टों को राशन डीलर भागचन्द को बेचने का के वी एस एस सांभरलेक द्वारा कोई बिल जारी नहीं किया गया । उक्त राशन के गेहूं की अवैद्य निकासी की जाकर मार्केट में बेचने ले जाया जा रहा था। अप्रार्थीगण द्वारा बिना रसद विभाग के अनुज्ञापत्र, बिल व डीलरशिप अनुज्ञापत्र. के बिना उक्त 40 कट्टे गेहूं अवैद्य रूप से ले जाते हुये पाया जाना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है होने ये उक्त बोलेरो व गेहूं को जब्त किया गया । अतः जब्त गेहूं व पिकअप को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

6. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अप्रार्थी भाग चन्द यादव ग्राम पचांयत डूंगरी कला तहसील फुलेरा का प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत अधिकारी से प्राधिकार पत्रसंख्या सांभर/76/2000 मिला हुआ है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश क्रमांक 1785–792 दिनांक 23.01.2017 द्वारा निलम्बित उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा को भी अप्रार्थी की उक्त उचित मूल्य दुकान के साथ अस्थायी रूप से सम्बद्व कर दिया गया । मैसर्स साभर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. सांभरलेक जो कि थोक प्राधिकारधारक है डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा उचित मूल्य की दुकान को खाद्यान्न उनके कारोबार स्थान पर पहुंचाती है और यह गेहूं के वी एस एस द्वारा अपने साधन से पहुंचाया जाता है। अप्रार्थी द्वारा फरवरी 2017 से सुन्दरपुरा स्थित उचित मूलय दुकान का वितरण कार्य पोस मशीन 15922 से किया जा रहा है तथा क्रय विक्रय सहकारी समिति सांभर द्वारा सुन्दरपुरा की दुकान हेतु बिल संख्या 8742 दिनांक 09.02.2017 से 38.80 क्विंटल, बिल संख्या 8862 दिनांक 25.02.2017 से 17.34 क्विंटल एवं बिल संख्या 9135 दिनांक 16.03.2017 से 34.20 क्विंटल गेहूं की आपूर्ती के बिल जारी किये गये लेकिन प्रार्थी को दिनांक 16.03.2017 को जारी बिल की मात्रा के विरूद्व 5 क्विंटल गेहूं साभर के वी एस एस से लेना शेष था। दिनांक 20.03.2017 को 15.40 क्विंटल गेहूं का बिल के वी एस एस सांभर से प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने बिल बनवा लिया, किन्तु अचानक उसके परिवार में मृत्यु हो जाने के कारण गेहूं वास्तविक रूप से उसी दिन नही उठाया जा सका । दिनांक 22.03.2017 को अप्रार्थी का भाई दौलाराम दिनांक 20.03.2017 को जारी बिल के विरूद्व शेष रहा गेहूं 15.40 क्विंटल तथा उससे पहिले दिनांक 16.03.2017 को बिल संख्या 9135 मात्रा 34.20 क्विंटल गेहूं में देने से शेष रही मात्रा 5 क्विंटल अर्थात कुल 20.40 क्विंटल गेहूं को अपने स्वयं के साधन से पिकअप संख्या आर जे 14 जीएफ 5664 में लेने आया था। उक्त गेहूं दोलाराम को भागचन्द प्राधिकृत उचित मूल दुकानदार की दुकान पर ले जाना था, किन्तु समिति के गोदाम से निकलते ही श्री दुल्हाराम हैडकास्टेबल नम्बर

जिला कलक्टर
जयपुर

450 पुलिस थाना सांभर लेक ने उक्त पिकअप को रोक लिया तथा मौके पर ही उक्त गेहूं के बिल आदि जब्त कर लिए। उपरोक्त अवैद्य कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी जयपुर के आदेश से प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जांच की गई । जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के यहां पेश की जिसमें उक्त गेहूं को किसी अपराध से सबंधित होना नहीं माना गया। उक्त गेहूं का अधिग्रहण पुलिस थाना सांभर के हैडकान्सटेबल द्वारा किया गया जबकि आदेश 1976 के खण्ड 24 के तहत उक्त हैड कान्सटेबल को निरीक्षण, तलाशी या स्टॉक अधिग्रहण करने, प्रश्न पूछने व दस्तावेज जब्त करने आदि का कोई कानूनी अधिकार नही था । इसिलए अवैद्य अधिग्रहण की कार्यवाही निरस्तनीय है। केन्द्र सरकार ने दिनंक 15.02.2002 को विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो में अनुज्ञान संबंधी अपेक्षा व स्टॉक सीमा ओर संचलन निर्बन्धन हटाना आदेश 2002 प्रवृत्त किया, जिसके द्वारा गेहूं के परिवहन संबंधी सभी नियंत्रण समाप्त हो गये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 में वाहन की तलाशी लेने का प्रावधान नही है जैसा कि 2007 (2) EFR 47=2007 EFSC 237 में निर्णित किया गया है। कन्हैया लाल द्वारा अपने व ाहन यानि बोलेरा पिकअप से किराये से अप्रार्थी भागचन्द की उचित मूल्य दुकान को गेहूं परिवहन करने से कोई आरोप नही बनता, जबकि डीलर भागचन्द का भाई यानि माल का मालिक स्वयं साथ था, 40 कट्टे गेहूं के इनटेक्ट थे । उन्हें रास्ते में उतारा नही गया और ना ही गेहूं को बाजार में बेचने या कालाबाजारी करने हेतु ले जाने की काई साक्ष्य ही प्रस्तुत की। गेहूं का परिवहन करना कोई अपराध नही है जैसा कि AIR 2012 Uttranchal 122 or 2015 Cr.L.J.541में निर्णित किया गया है। पु लिस द्वारा बोलेरो पिकअप को परिवहन के दौरान अभिग्रहण किया गया है परिवहन के दौरान पिकअप में रखे गेहूं को भण्डारण नहीं माना जा सकता । जैसा कि माननीय सर्वोच न्यायालय ने 1996 Cr.L.R S.C. 525 में निर्णित किया है। गेहूं को परिवहन के दौरान अभिग्रहित किया गया है और यह परिवहन थोक विक्रेता के यहां से उचित मूल्य दुकान पर जा रहा था। अप्रार्थी पर तथाकथित गेहूं के ना तो प्रस्थापन या अपमिश्रण करने का आरोप है और ना ही अप्रार्थी द्वारा गेहू का अपयोजन किया गया एवं ना ही अप्रार्थी द्वारा उसकी चोरी की गई और ना ही कालाबाजारी की गई जिसके संबध में जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच दल गठित कर जांच करा ली गई है। जांच दल द्वारा दिनांक 27.03.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें जांच दल द्वारा जब्त शुदा 40 कट्टे गेहूं की कालाबाजारी/ दुरूपयोग की आशंका नगण्य होना पाई गई है। उक्त रिपोर्ट पर बाद अन्वेषण पुलिस ने दर्ज शुदा प्रकरण में एफ आर दिनांक 25.05.2017 व सिगे अदम वकू तथ्य की भूल किता की गई है। उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि जब्त शुदा गेहूं व बोलेरो पिकअप वाहन का किसी भी अपराध से संबंध नही है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की जा कर अभिग्रहित किया गया गेहूं अथवा उसकी विकीत राशि अपार्थी को वापिस दिलाई जावे तथा बोलेरो पिकअप जो जमानत पर छोडी गई है उसे रिलीज किया जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द जब्ती दिनांक 22.03.2017 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
8. प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है । मामले में पुलिस द्वारा दर्ज एफ आई आर में एफ आर प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है। जब्त गेहूं किसी अपराध से सम्बन्धि होने की पुष्टि नही होती है। फलस्वरूप जब्त गेहूं को रिलीज किया जाना वाजिब समझते है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 40 कट्टे गेहूं या उससे विक्रीत राशि अप्रार्थी को लौटाई जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में जब्त वाहन बोलेरा पिकअप नम्बर आरजे 14 जीएफ 5664 के जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर इस प्रकरण मे रिलीज किया जाता है।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना सांभर लेक एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलेक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलेक्टर
जयपुर